पत्र संख्या– 586 /

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल,एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा,राँची–834004
e-mail:- panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

निशा उराँव, भा0रा0से0,
निदेशक,
पंचायत राज निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :– 1.3.24

विषय :– डिजिटल पंचायत परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्रतिनियुक्त CSC-VLE के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 2937 दिनांक 28.11.2023, पत्रांक 3176 दिनांक 22.12.2023, पत्रांक 152 दिनांक 19.01.2024 एवं पत्रांक 74 दिनांक 10.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि डिजिटल पंचायत परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में CSC-VLE की प्रतिनियुक्ति की गई है। उक्त प्रतिनियुक्त CSC-VLE द्वारा ई–ग्राम स्वराज, मनरेगा, PDI, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, विश्वकर्मा योजना, GeM तथा अन्य कार्यों से संबंधित डाटा प्रविष्टि के कार्य में ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव एवं मुखिया को सहयोग करते हुए इन योजनाओं से संबंधित डाटा की प्रविष्टि का कार्य सम्पन्न किया जाना है। किन्तु पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा CSC-VLE को लॉगइन आई0डी0 एवं पासवर्ड साझा नहीं कराये जाने के कारण इन योजनाओं से संबंधित डाटा प्रविष्टि में अपेक्षित सहयोग नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों में प्रतिनियुक्त CSC-VLE को पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा अपनी उपस्थिति में लॉगइन आई0डी0 एवं पासवर्ड साझा करते हुए CSC-VLE से उपरोक्त योजनाओं से संबंधित डाटा प्रविष्टि कार्य संपादित कराने हेतु अपने जिलान्तर्गत कार्यरत प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को इस संबंध में अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय ताकि CSC-VLEs द्वारा ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव को इन योजनाओं से संबंधित डाटा प्रविष्टि करने में सहयोग प्रदान किया जा सके।

विश्वासभाजन

निशा उराँव 29/02/24

निदेशक,
पंचायत राज निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– 586 /, राँची, दिनांक :– 1.3.24

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निशा उराँव

निदेशक,
पंचायत राज निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

E: Anil Office work 2022 Kumar Ashish:Letter

ज्ञापांक 125/जि0प0, दिनांक 05/03/2024

प्रतिलिपिः– CSC Manager जामताड़ा जिला को सुचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि सभी ग्राम पंचायतों में प्रतिनियुक्त CSC-VLE का सूची सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला को सुचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। विभागीय पत्रांक 586 दिनांक 01.03.2024 के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि सभी ग्राम पंचायतों में प्रतिनियुक्त CSC-VLE को पंचायात सचिव एवं मुखिया द्वारा अपनी उपस्थिति में लॉगइन आई0डी0 पासवर्ड साझा कराते हुए CSC-VLE से उपरोक्त योजनाओं से संबंधित प्रविष्टि का कार्य संपादन ग्राम पंचायत स्तर से करना सुनिश्चित करेंगें।

2.3.24

5-3-24

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, जामताड़ा।

E-mail
FAX

पत्र संख्या :- 01/स्था0 (मु0)-85/2021......................../पं0

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग

द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची-834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

राजीव अरुण एक्का, भा0प्र0से0
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी उप विकास आयुक्त -सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :- 28.11.2022

विषय :- झारखण्ड राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में अवस्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केन्द्र की स्थापना हेतु डिजिटल पंचायत योजना संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय की स्थापना की गयी है। पंचायत के कार्य एवं अभिलेखों के डिजिटल संधारण तथा आम नागरिकों को सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं का लाभ एवं विविध प्रमाण पत्रों के आवेदन एवं निर्गमन के लिए भी पंचायत भवन में आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षित मानव बल उपलब्ध नहीं है। पंचायत क्षेत्रों में सूचना प्रवाह के अंतिम इकाई केन्द्र निर्धारित नहीं रहने के कारण नागरिकों को उचित जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तकनीकि पिछड़ापन एक बाधा है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा CSC-ई-गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड जो Electronics & Information Technology Ministry, GoI अन्तर्गत कम्पनी ऐक्ट 1956 के अधीन गठित एक निकाय है तथा जिसका उद्देश्य सामान्य सुविधा केन्द्र योजना (CSCs) का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना

28.11.22

....2/-..

है के मध्य एक समझौता किया गया है । इस समझौते के फलस्वरुप राज्य के स्थानीय नागरिकों को सरकारी विभागों, व्यापारिक संस्थानों, बैंकिंग, बीमा तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सूचना तकनीक के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं का लाभ ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिल सकेगा। पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नागरिक सेवाओं और डिजिटलीकरण के लिए CSC के साथ मिलकर "डिजिटल पंचायत" योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। विभागीय संकल्प संख्या 2069 दिनांक 22.08.2023 में CSC-SPV द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं का उल्लेख विस्तृत रूप में किया गया है।

राज्य के नागरिकों को ससमय सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के लक्ष्य से प्रेरित होकर पंचायती राज विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं के वितरण एवं पंचायत के डिजिटलीकरण के लिए सिंगल विंडो समाधान के रूप में योजना निर्धारित की गयी है।

उक्त पृष्ठभूमि में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पंचायत योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है तथा CSC-SPV द्वारा डिजिटल पंचायत केन्द्र को प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरु हो गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

1. **योजना क्रियान्वयन की संरचना** :-

- डिजिटल पंचायत केन्द्र की स्थापना ग्राम पंचायत सचिवालय में ही की जाएगी।
- डिजिटल पंचायत केन्द्र का संचालन एक कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे VLE के नाम से जाना जायेगा । इन Village Level Entrepreneur (VLEs) को CSC, e-Governance India Limited द्वारा पंचायत में

...3/-...

कार्य करने हेतु रखा जायेगा व उन्हें समय–समय पर जिला/प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा । स्पष्ट किया जाता है कि उक्त VLEs विभाग के कर्मी नहीं होंगे, अपितु ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने हेतु CSC e-Governance India Limited द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन के रूप में होंगे, जिनको मानदेय/पारिश्रमिक CSC e-Governance India Limited द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार दिया जायेगा । ग्राम पंचायत स्तर पर VLE का चयन CSC e-Governance Services india Lted. द्वारा ही किया जायेगा । इसमें किसी विभाग/संस्था की कोई सहभागिता नहीं है।

- **VLE स्थानीय स्तर पर संचालित प्रज्ञा केन्द्र से चयनित किये जायेंगे और ये पूर्णतः अस्थाई होंगे ।**
- **योजनान्तर्गत CSC द्वारा पंचायत स्तर पर पंचायत कर्मियों को डिजिटल कौशल उपलब्ध कराया जाएगा।**
- **ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के डाटा डिजीटाईजेशन, योजनाओं की ऑनलाईन प्रविष्टि, योजनाओं के क्रियान्वयन आदि में ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव को VLE द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।**
- **इस योजना अंतर्गत पंचायत सचिवालय में बैंकिंग एवं पोस्टल सेवा भी शुरू करने की योजना है।**
- डिजिटल पंचायत केन्द्र सिंगल विंडो व्यवस्था की अवधारणा पर कार्य करेगी ।
- इस योजना के तहत् CSC-SPV द्वारा Data Digitization & Record keeping of MoPR Portals, Gram Panchayat record keeping (e-Gov Jharkhand), Registers, Monitoring and

..4/-...

MIS Applications, Data digitization survey of Basic amenities data in Panchayats, Data Digitization individual website of each Panchayat, Data Digitizatin Mobile App for any of the modules of OneGov, Entry in any other application developed by MoPR, Any others services decided by Department by Agency से संबंधित कार्य की सेवा बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जायेगा।

- **इन केन्द्रों से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सभी G2G, G2C और B2C सेवाएं उचित दर पर प्रदान की जाएगी ।**
- इन केन्द्रों में पंचायत के लिए उपयोगी समस्त दस्तावेजों की डेटा इन्ट्री सुनिश्चित की जाएगी ।
- इन केन्द्रों पर सेवा सूची और सेवा दर सूची को प्रदर्शित की जाएगी, साथ ही साथ योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी ।
- इन VLE का कार्य दिवस पंचायत के कार्य दिवस के अनुरूप ही होगा ।
- इन केन्द्रों पर बेनर भी प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें ग्राम पंचायत एवं VLE का विवरण होगा ।
- इन केन्द्रों के माध्यम से दिव्यांग एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को घर पहुँच सेवा प्रदान की जाएगी ।
- इन केन्द्रों पर भविष्य में सभी विभागों की नागरिक आधारित अतिआवश्यक सेवाओं को भी जोड़ा जा सकेगा ।
- भविष्य में इन केन्द्रों से सेवा के अनुरूप प्राप्त आय का कुछ अंश ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त होगा। केन्द्र संचालक (VLE), पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत के मुखिया के अधीन उनके सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे।

...5/-...

2. डिजिटल पंचायत केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत सचिवालय में आधरभूत सुविधा यथा- एक कमरा, टेबल, कुर्सी, बिजली, सफाई पानी, इन्टरनेट, बैनर इत्यादि पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।

3. डिजिटल पंचायत केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत भवन में कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर (अनुरक्षण एवं उन्नयन सहित), मानव संसाधन, प्रशिक्षण का व्यय CSC- ई-गवर्नेस सर्विसेस इण्डिया लिमिटिड द्वारा वहन किया जाएगा।

4. योजना के क्रियान्वयन के लिए CSC- ई-गवर्नेस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड को कार्यकारी एजेंसी के रूप में झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर नामित किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा CSC- ई-गवर्नेस सर्विसेस इण्डिया के साथ डिजिटल पंचायत क्रियान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। CSC - ई-गवर्नेस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड समझौता ज्ञापन व कार्यादेश निर्गत की तिथि से पाँच वर्षो तक अथवा समझौता समाप्त करने तक जो भी पहले हो, की अवधि के लिए डिजिटल पंचायत योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी । पंचायती राज विभाग अधिकतम दो वर्ष के लिए योजना का विस्तार कर सकेगी ।

5. योजनान्तर्गत एजेंसी द्वारा सभी जिला परिषद् और पंचायत समिति/प्रखण्ड स्तर पर एक-एक प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा । इनका बैठने का व्यवस्था क्रमशः जिला परिषद् कार्यालय एवं पंचायत समिति कार्यालय में किया जाय । **इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर VLE के बैठने की व्यवव्स्था ग्राम पंचायत सचिवालय में की जाय ।**

6. योजनान्तर्गत एजेंसी द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित सभी ऑनलाईन सेवाएँ (ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, डेटा डिजिटाईजेशन, पंचायती राज मंत्रालय,

....6/-...

भारत सरकार द्वारा तैयार Application से संबंधित सेवाओं, G2G Service) हेतु अलग से किसी प्रकार का सेवाशुल्क नहीं लिया जाएगा । किन्तु झारसेवा पोर्टल एवं डिजिसेवा पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली G2C Services के लिए संबंधित लाभुक से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित दर के आधार पर सेवा शुल्क लिया जाएगा । शुल्क आधारित सेवाओं की सूची (शुल्क सहित) पंचायत केन्द्रों पर निश्चित रूप प्रदर्शित किया जाएगा ।

7. डिजिटल पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल पदाधिकारी निदेशक, पंचायत राज, झारखण्ड, राँची होंगे।

8. डिजिटल पंचायत योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों का अपना बेवसाईट एवं Dashboard बनाने की योजना है।

9. पंचायत स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं का पर्यवेक्षण हेतु ऑनलाईन मासिक प्रगति प्रतिवेदन VLE के माध्यम से समर्पित की जाएगी ।

अतः इस पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु एक PPT की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है । उपरोक्त इन निर्देशों का तीनों स्तर पर (जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) अक्षरशः पालन किया जाए और CSC-ई-गवर्नेस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों को हर संभव सहायता की जाए तथा इस दिशा-निर्देश की प्रति मुखिया तथा पंचायत सचिव को उपलब्ध कराते हुए निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित किया जाए ।

विश्वासभाजन

28.11.23

<u>अनुलग्नक :- यथोक्त।</u>

(राजीव अरुण एक्का)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्र संख्या :– 01 स्था (वि0)– 85/2021 ......2176....../पं0

झारखण्ड सरकार

पंचायती राज विभाग

द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004

e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

राजीव अरूण एक्का, भा0प्र0से0
सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, झारखण्ड।

सेवा में,

अत्यावश्यक
ई–मेल/फैक्स

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक : – 22.12.2023

विषय :– पंचायत भवन में अवस्थित डिजिटल पंचायत केन्द्र के माध्यम से सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग द्वारा डिजिटल पंचायत परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अवस्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केन्द्र की स्थापना हेतु CSC e-Governance के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। CSC को सूचना तकनीक से लैस एक विश्वसनीय, वैध तथा सर्वव्यापी नेटवर्क के केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें स्थानीय नागरिकों को सरकारी विभागों, व्यापारिक संस्थानों, बैंकिंग, बीमा तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सूचना तकनीक के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं का लाभ मिल सके।

उक्त के क्रम में निम्नांकित सुविधाओं को डिजिटल पंचायत केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु चिन्हित किया गया है :–

S.N.	Services	Per Service cost	No. of Services
	State Government Services (Jhar sewa)		0
1	Cast certificate (जाति प्रमाणपत्र)	30/-	1
2	Caste Certificate for ST State and Central (एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र)	30/-	1
3	Caste Certificate for SC State and Central (एससी के लिए जाति प्रमाण पत्र)	30/-	1
4	Caste Certificate for OBC I/OBC II (ओबीसी I/ओबीसी II के लिए जाति प्रमाण पत्र)	30/-	1
5	Caste Certificate for OBC I/ OBC II Non-Creamy (ओबीसी I/ओबीसी II गैर-क्रीमी. के लिए जाति प्रमाण पत्र)	30/-	1
6	Caste Certificate OBC (जाति प्रमाण पत्र ओबीसी)	30/-	1
7	Caste Certificate for ST/SC Migrants (एसटी/एससी प्रवासियों के लिए जाति प्रमाण पत्र)	30/-	1
8	Caste Certificate OBC Migrants (जाति प्रमाण पत्र ओबीसी प्रवासी)	30/-	1
9	Income certificate (आय प्रमाण पत्र)	30/-	1
10	Residence certificate (आवास/ निवास प्रमाण पत्र)	30/-	1

S.N.	Services	Per Service cost	No. of Services
11	EWS Certificate (ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र)	30/-	1
12	Pension-1. old age pension, 2. Disability pension, 3. Widow pension are in social security pension service (सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा में 1. वृद्धावस्था पेंशन, 2. विकलांगता पेंशन, 3. विधवा पेंशन शामिल हैं)	30/-	3
	अन्य G2C Services (Footfall Services)		
13	Tele Law (टेली लॉ)	Free	1
14	Bank BCs (बैंक बीसी)	Proposed, Service cost need to be finalised	1
	Digital Panchayat Services –G2G		
15	Vibrant Gram Sabha (जीवंत ग्राम सभा)	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
16	People Plans Campaign (जन योजना अभियान)	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
17	E_gram Swaraj (Profile, Area Profiler)	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
18	E_gram Swaraj (Planning, GPDP)	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
19	E_gram Swaraj (Reporting, Action Soft)	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
20	Maction Soft (Geo Tagging)	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
21	E_gram Swaraj (Accounting, PFMS)	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
22	Training Management	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
23	Audit online	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
24	Asset Directress	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
25	Panchayat Data Digitization (Panchayat Registers)	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	13
26	Basis amenitics Data Entrics-	Without cost, deliverable under	30

S.N.	Services	Per Service cost	No. of Services
		Digital Panchayat Project	
27	Panchayat MPR and reports/ Official Website	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
28	Various NOC Application	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
29	Character certificate	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
30	Proof of age Application	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
31	PM Vishwakarma Onboarding	Without cost	1
32	PDI Facilator	--	1
33	GeM Integration & Assisting Mukhiya in GeM purchase	Without cost, deliverable under Digital Panchayat Project	1
34	अन्य डिजिटल एवं Miscllaneous services defind by Departmenrt	--	1

* उपरोक्त तालिका के क्रमांक– 1 से 12 तक के शुल्क जैप आई0टी0 द्वारा पूर्व निर्धारित है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त चिन्हित सेवाओं को डिजिटल पंचायत केन्द्र के माध्यम से पंचायत भवन में ही उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निदेश निर्गत किया जाय।

विश्वासभाजन

22.12.23

सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, झारखण्ड।

E:\JBT\BUDGET RELATED\Hindi General Letter 2019-20.docx

पत्र संख्या :– 01 स्था (वि0)– 36/2022 ......75....../पं0

झारखण्ड सरकार

पंचायती राज विभाग

द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004

e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

राजीव अरूण एक्का, भा0प्र0से0
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग, झारखण्ड।

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड।

सेवा में,

अत्यावश्यक
ई–मेल/फैक्स

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक : – 12.03.2024

विषय :– **पंचायत भवन में अवस्थित डिजिटल पंचायत केन्द्र के माध्यम से महात्मा गाँधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग द्वारा डिजिटल पंचायत परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अवस्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केन्द्र की स्थापना हेतु CSC e-Governance के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। CSC को सूचना तकनीक से लैस एक विश्वसनीय, वैध तथा सर्वव्यापी नेटवर्क के केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें स्थानीय नागरिकों को सरकारी विभागों, व्यापारिक संस्थानों, बैंकिंग, बीमा तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सूचना तकनीक के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं का लाभ मिल सके।

योजना अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत भवन में एक डिजिटल पंचायत केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें एजेंसी द्वारा एक समर्पित कर्मी VLE की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाएगी, जो मुखिया, पंचायत सेवकों को योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे एवं इसके लिए विभाग द्वारा CSC-SPV को अलग से राशि उपलब्ध करायी जाएगी ताकि केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को डिजिटल पंचायत केन्द्र के माध्यम से पंचायत भवन से ही आम नागरिकों को उपलब्ध करायी जा सके।

विभागीय आदेश संख्या – 199 दिनांक 19.12.2023 द्वारा पंचायत भवन में पंचायत सचिव की प्रविष्टि तथा Biometric संबंधी नियमित उपस्थिति का आदेश निर्गत है। **पंचायत स्तर कर्मी एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से पंचायत वासियों को पंचायत भवन में ही तमाम डिजिटल, सरकारी तथा नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।**

विदित हो कि महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन में महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की विनिर्दिष्ट दिशा–निर्देश, महात्मा गाँधी नरेगा की Operational Guidline में वर्णित प्रावधान तथा विभाग स्तर पर निर्गत विभिन्न मार्गदर्शिका का अनुपालन किया जाता है, जिसका अनुसरण करते हुए निम्नांकित Module पर डिजिटल पंचायत केन्द्र की एजेंसी/कर्मी द्वारा पंचायत स्तरीय MGNREGS के हितधारकों/कर्मियों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे :–

कृ0पृ0उ0 ....

i. Registration of Unskilled Labour (अकुशल श्रमिकों का पंजीकरण)
ii. Registration of Semiskilled/ Skilled Labour (अर्धकुशल/कुशल श्रमिकों का पंजीकरण)
iii. Issuance of New Job Card (नए जॉब कार्ड जारी करना)
iv. Renewal of Job Card (जॉब कार्ड का नवीनीकरण)
v. Labourer's Aadhar & Account freezing (श्रमिकों का आधार व बैंक खाता को नरेगासॉफ्ट में फ्रीज करना)
vi. MGNREGS Work Entry (महात्मा गाँधी नरेगा कार्यों का नरेगासॉफ्ट में प्रविष्टि)
vii. Sanctioning of MGNREGS Works (कार्यों की स्वीकृति)
viii. Monitoring of Geo-tag (कार्य के जियोटैगिंग का पर्यवेक्षण)
ix. Work Demand (कार्य की माँग)
x. Work Allocation (कार्य आवंटन)
xi. Printing of Muster Roll (मस्टर रॉल का मुद्रण)
xii. Attendance filling in NREGASoft/App (नरेगासॉफ्ट/ऐप में उपस्थिति दर्ज कराना)
xiii. e-MB entry (ई–एम०बी० की प्रविष्टि)
xiv. Wagelist Generation (मजदूरी सूची को जेनरेट करना)
xv. Material list Generation (सामग्री सूची को जेनरेट करना)
xvi. All Digitally signed FTO followed by 1st & 2nd Signatory (प्रथम व द्वितीय हस्ताक्षरकर्त्ता के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करते हुए सभी एफ०टी०ओ० की प्रक्रिया पूर्ण करना)
xvii. Resolving FTO related issue (एफ०टी०ओ० से संबंधित समस्या का निराकरण करना)
xviii. Regeneration of Rejected Transaction (अस्वीकृत ट्रांजेक्सन को पुनः जेनरेट करना)
xix. 7 Register Maintenance (7 पंजी का संधारण)
xx. Grievance Redressal of Payment of Labour, Material etc. (मजदूरी, सामग्री व अन्य मदों के भुगतान से संबंधित शिकायतों का निपटारण)
xxi. इसके अतिरिक्त समय–समय पर लागू/बदलाव/संशोधन होने वाले अन्य/नए Digital Module को भी डिजिटल पंचायत केन्द्र के अधीन प्रभावी होंगे।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त चिन्हित सेवाओं को डिजिटल पंचायत केन्द्र के माध्यम से पंचायत भवन में ही उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निदेश निर्गत किया जाय।

विश्वासभाजन

08/I/XXIV

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड।

9.1.24

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग, झारखण्ड।

E-Mail / Fax

पत्र संख्याः–1स्था(क्षे0)–03/2021...152.../पं0
झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

निशा उराँव, भा0रा0से0
निदेशक

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, झारखण्ड ।

राँची, दिनांक :– 19.1.24

विषय :– **पंचायत सचिवों का स्थानांतरण, बायोमैट्रिक उपस्थिति, GeM Portal में निबंधन एवं डिजिटल पंचायत केन्द्र के माध्यम से पंचायत भवन में सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक 2179 दिनांक 04.09.2023, विभागीय आदेश संख्या–199 सहपठित ज्ञापांक 3139 दिनांक 19.12.2023 एवं विभागीय पत्रांक 29 दिनांक 04.01.2024, पत्रांक 74 दिनांक 10.01.2024**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण किया जाय। प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में निम्नांकित कार्रवाई अविलम्ब अपेक्षित है:–

1. राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में केवल नियमित (नव नियुक्त सहित) पंचायत सचिवों को ही प्रभार सौंपा जाय एवं एक पंचायत सचिव को अधिकतम दो ग्राम पंचायतों का ही प्रभार सौंपा जाय। ऐसे पंचायत सचिवों की रोस्टर ड्यूटी को यथाशीघ्र निर्धारित किया जाय। साथ ही पंचायत भवनों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली अधिष्ठापन करते हुए सभी पंचायत सचिवों की बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

2. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वार इस वर्ष से पंचायतों में GeM Portal के माध्यम से क्रय करने की कार्रवाई को अनिवार्य कर दिया गया है तथा सभी पंचायतों में पंचायत सचिव GeM Portal के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय स्तर के पदाधिकारी नामित किये गये हैं। अतएव इस परिस्थिति में उनका रोस्टर निर्धारित करते हुए GeM Portal में द्वितीय स्तर के पदाधिकारी के रूप में निबंधन की कार्रवाई ससमय पूर्ण किया जाय।

3. पंचायत सचिव जो तीन वर्ष से अधिक अवधि से एक ही पंचायत में पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

4. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त पत्रांक 74 दिनांक 10.01.2024 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत चिन्हित सेवाओं को डिजिटल पंचायत केन्द्र के माध्यम से पंचायत भवन में ही उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

5. पंचायत सचिव जन्म/मृत्यु/विवाह के पंजीकरण हेतु सब रजिस्ट्रार घोषित हैं। अतः जन्म/मृत्यु/विवाह के पंजीकरण संबंधी कार्रवाई पंचायत भवन से ही कराना अनिवार्य है।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

निशा उराँव 16/01/24

निदेशक,
पंचायत राज, झारखण्ड।

E//Anil Office Work/Vinayak jee/PS letter.doc